समाहरणालय, पटना
सामान्य शाखा

फोन नं० : 0612–2219545 (का०)
फैक्स नं० : 2218900
Email : adepatnageneralsection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड) के पदधारको के निर्वाचन की सूचना

सहकारिता निर्वाचन प्राधिकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय पत्रांक–CEA-12011/25/2024 दिनांक–20.09.2024 द्वारा "बिस्कोमान के निदेशक पर्षद एवं पदधारक" के निर्वाचन हेतु जिला पदाधिकारी, पटना को "निर्वाची पदाधिकारी" नियुक्त किया गया है। उक्त निर्वाचन "बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम–2002, (यथासंशोधित–2023)/बहुराज्य सहकारी समिति नियमावली–2002, (यथासंशोधित–2023)" एवं बिस्कोमान की उपविधि के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संपन्न होगा।

भारत सरकार, (सहकारिता मंत्रालय) के सहकारी निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत CEA-12011/25/2024 दिनांक–04.03.2025 के अनुसार "बिस्कोमान के पदधारकों (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) के पद पर निर्वाचन कार्यक्रम दिनांक–08.03.2025 से 09.03.2025 तक निर्धारित है। विस्तृत कार्यक्रम निम्नवत् है:–

क्र०स०	कार्यक्रम का विषय	तिथि	समय	स्थल
01.	नामांकन एवं नामांकन पत्रों की संवीक्षा	08.03.2025	11:00 बजे पूर्वाह्न से 11:30 बजे पूर्वाह्न तक	समाहरणालय भवन, गाँधी मैदान, पटना के पंचम तल पर स्थित सभागार
02.	नामांकन की वापसी	08.03.2025	11:30 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे अपराह्न तक	समाहरणालय भवन, गाँधी मैदान, पटना के पंचम तल पर स्थित सभागार
03.	निर्वाचन योग्य उम्मीदवारों के अंतिम सूची का प्रकाशन	08.03.2025	12:00 बजे अपराह्न से 12:30 बजे अपराह्न तक	समाहरणालय भवन, गाँधी मैदान, पटना के पंचम तल पर स्थित सभागार
04.	निर्वाचन (यदि आवश्यक हो)	09.03.2025	11:00 बजे पूर्वाह्न से	समाहरणालय भवन, गाँधी मैदान, पटना के पंचम तल पर स्थित सभागार
05.	मतगणना	09.03.2025	मतदान समाप्ति के तत्काल पश्चात्	समाहरणालय भवन, गाँधी मैदान, पटना के पंचम तल पर स्थित सभागार
06.	परिणाम की घोषणा		सहकारिता निर्वाचन प्राधिकार, नई दिल्ली की अनुमति के पश्चात्	

मतदाता – बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड) के पदधारकों के निर्वाचन हेतु कुल – 21 (इक्कीस) मतदाता होंगे, जिसमें निदेशक मंडल के 17 (सतरह) निर्वाचित सदस्य (सामान्य–14, महिला–02 एवं SC/ST-01) तथा 04 (चार) मनोनीत सदस्य (बिहार सरकार से 03 एवं झारखण्ड सरकार से 01) शामिल हैं। कार्यालय ज्ञापांक–515, दिनांक–21.02.2025 द्वारा मतदाता सूची निर्गत है।

नामांकन प्रपत्रों की उपलब्धता – पदधारके हेतु नामांकन प्रपत्र बिस्कोमान कार्यालय, गाँधी मैदान, पटना में उपलब्ध रहेगा। बिस्कोमान के पदधारक (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) हेतु नामांकन करने के इच्छुक सभी अभ्यर्थी उक्त कार्यालय से नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

विहित प्रपत्र (फार्म–V) में नामांकन दाखिल किया जायेगा। नामांकन पत्र के साथ शपथ–पथ (नोटरी से) को भी संलग्न किया जायेगा। सभी प्राप्त नामांकन पत्रों को पंजी में संधारित किया जाएगा। एतदर्थ प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान, पंजी एवं अन्य स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध कराएंगे।

नामांकन पत्र पर एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक का हस्ताक्षर/पता एवं मतदाता सूची क्रम संख्या अंकित किया जायेगा। प्रस्तावक/समर्थक का नाम अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में अंकित होना अनिवार्य होगा।

नामांकन पत्रों की प्राप्ति – बिस्कोमान के पदधारकों हेतु योग्य उम्मीदवारों से नामांकन पत्रों को सामान्यतया निर्वाची पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा प्राप्त किया जायेगा। निर्वाची पदाधिकारी की अनुपस्थिति में नामांकन पत्रों की प्राप्ति हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त, पटना प्राप्त करेंगे।

मतदान :– भारत सरकार, (सहकारिता मंत्रालय) के सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा निर्गत CEA-12011/25/2024 दिनांक–04.03.2025 के अनुसार पदधारक का निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक–09.03.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक नया समाहरणालय भवन, गाँधी मैदान के पंचम तल पर स्थित सभागार में मतदान हेतु स्थापित मतदान केंद्र में सम्पन्न होगा। 11:00 बजे तक सभी मतदाताओं को निर्धारित मतदान

फोन नं० : 0612–2219545 (का०)
फैक्स नं० : 2218900
Email : sdcpatnageneralsection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

कक्ष पर पहुँचना अनिवार्य होगा। 11:30 बजे पूर्वाह्न के बाद मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्वाचित मतदाता मूल प्रमाण पत्र एवं एक फोटो पहचान पत्र के साथ आयेंगे। मनोनीत मतदाता मनोनयन संबंधी निर्गत आदेश एवं एक फोटो पहचान पत्र के साथ उपस्थित होंगे।

मतदाताओं द्वारा इच्छुक उम्मीदवार के नाम के समक्ष केवल क्रॉस (x) का चिन्ह अंकित कर मतदान किया जायेगा। अन्य चिन्ह अंकित किये जाने पर मतपत्र रद्द कर दिया जायेगा। एक से अधिक उम्मीदवार के सामने क्रॉस (x) चिन्ह लगाने पर भी मतपत्र रद्द कर दिया जायेगा।

मतगणना :– सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपर संदर्भित पत्र में दिनांक–09.03.2025 को ही मतदान संपन्न करने के तुरंत पश्चात् मतों की गणना कराने का निदेश है। उक्त निदेश के आलोक मे दिनांक–09.03.2025 को पूर्वाहन 11:00 बजे से समाहरणालय भवन, गाँधी मैदान, पटना में मतदान संपन्न होने के उपरांत उसी स्थल पर मतों की गणना भी संपन्न करायी जायेगी। परिणाम की घोषणा सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा प्रपत्र 19 (N) के अनुमोदन के पश्चात् की जायेगी।

ह०/
जिलाधिकारी
–सह–
निर्वाची पदाधिकारी,
बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड)।

ज्ञापांक 641 दिनांक 05.03.25

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बिस्कोमान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी निदेशक पर्षद् के सभी संबंधित सदस्यों को अपने स्तर से अवगत करा दें तथा बिस्कोमान के अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

प्रतिलिपि :– सहकारी निर्वाचन प्राधिकार, 9th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi 110029 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
–सह–
निर्वाची पदाधिकारी,
बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड)।

बिस्कोमान

प्रपत्र–"V"

(बिहार–झारखण्ड)

(नामांकन फार्म)

[नियम 19N]

पदधारकों के निर्वाचन हेतु प्रपत्र

01.	बहुराज्य सहकारी समिति का नाम व पता	बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, (बिहार एवं झारखण्ड) बिस्कोमान टॉवर, छठा तल पश्चिमी, गाँधी मैदान, पटना–800001
02.	निर्वाचन हेतु पद का नाम	....

उम्मीदवार

03.	प्रतिनिधि का नाम तथा सहकारी समिति अथवा बहुराज्य सहकारी समिति का नाम जिसका वह प्रतिनिधि है Name of the Candidate in case of an individual Member or name of the delegate and the member Cooperative Society or Multi State Cooperative Society which he is representing.	....
04.	अंतिम मतदाता सूची में क्रमांक	....
05.	पिता/पति का नाम	....
06.	पता (मोबाईल नं० सहित)	....

प्रस्तावक

07.	प्रस्तावक का नाम और समिति का नाम जिसका प्रस्तावक प्रतिनिधि है	....
08.	अंतिम मतदाता सूची में क्रमांक	....
09.	प्रस्तावक के हस्ताक्षर	....

समर्थक

10.	समर्थक का नाम और समिति का नाम जिसका समर्थक प्रतिनिधि है	....
11.	अंतिम मतदाता सूची में क्रमांक	....
11.	समर्थक के हस्ताक्षर	....

उम्मीदवार की घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि बिस्कोमान में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन में उम्मीदवार होने का/की इच्छुक हूँ और मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं बहुराज्य सहकारी सोसाईटीज अधिनियम, 2002 (यथासंशोधित, 2023) तथा नियमों और बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड) की उपविधियों के अनुसार बिहार राज्य सहयोग क्रय–विक्रय संघ सीमित, बिहार एवं झारखण्ड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निरर्हित नहीं हूँ।

दिनांक :–   (उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

रिटर्निंग ऑफिसर का पृष्ठांकन

यह नामांकन पत्र मुझे तारीख .... को .... बजे अभ्यर्थी द्वारा हाथों हाथ प्राप्त कराया गया।

स्थान :–

तारीख :–

रिटर्निंग ऑफिसर या उसके
द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

बिस्कोमान

(बिहार–झारखण्ड)

(शपथ–पत्र जो नामांकन पत्र के साथ दिया जायेगा)

(शपथ–पत्र)

मैं..., पिता–..
उम्र–..................वर्ष, ग्राम+मो०–..., पोस्ट–...
.., थाना–..., जिला–................................, बिहार / झारखण्ड का निवासी
हूँ तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ :–

कि मैं अपना नामांकन पत्र बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड) के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु दाखिल कर रहा हूँ / रही हूँ।

कि मैं बहुराज्य सहकारी सोसाईटी नियमावली, 2002 (यथा संशोधित2023) के नियम 19 एवं बहुराज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 2002 की धारा 43 से 46 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ।

कि मैं बहुराज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित–2023) की धारा 29, 43, 44 एवं धारा 46 के अन्तर्गत निर्वाचन हेतु अयोग्य नहीं हूँ।

कि मै बिस्कोमान की उपविधियों के अधीन अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निरर्हित नहीं हूँ।

कि मैं किसी भी सहकारी समिति का डिफॉल्टर अथवा किस्त खिलाफ नहीं हूँ।

कि मैं भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा, जिससे संस्था की छवि धूमिल हो अथवा मेरे या मेरे समिति के कारण संस्था को आर्थिक नुकसान उठाना पड़े।

कि मेरे द्वारा अंकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जानकारी में सही और सत्य है।

कि यदि किसी भी स्तर पर बहुराज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 2002 (यथासंशोधित, 2023) अथवा बिस्कोमान की उपविधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अयोग्यता पायी जाती है, तो निर्वाचन रद्द किया जा सकेगा।

स्थान :–
दिनांक :–

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

नामांकन–पत्र की संवीक्षा का प्रमाण–पत्र

मैंने श्री / श्रीमती / सुश्री.. से अभ्यर्थी के रूप में .... पद पर नामांकन प्राप्त किया है। मैंने अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक, समर्थक की अर्हत्ता का परीक्षण कर लिया है; मैं पाता हूँ कि ये क्रमशः निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के योग्य है / अयोग्य है।

दिनांक :–

दिनांक :–

(सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

नामांकन पत्र की प्राप्ति रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामांकन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

मैंने श्री / श्रीमती / सुश्री .... जो बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड), पटना के .... पर निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी हैं, का नामांकन पत्र मुझे दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न / अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त किया गया। इस नामांकन पत्र की संवीक्षा दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न / अपराह्न से की जायेगी।

स्थान :–

तारीख :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नामांकन/अभ्यर्थी वापसी प्रपत्र

01.	बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड), पटना के नामांकन से संबंधित पद का नाम :–	
02.	अभ्यर्थी का –	
	(i) पूरा नाम (जैसा कि मतदाता सूची में है)	
	(ii) मतदाता सूची में क्रमांक	
	(iii) पिता/पति का नाम	
	(iv) पूर्ण पता	
	मैं, बिस्कोमान के उपरोक्त पद के लिए निर्वाचन लड़ना नहीं चाहता/चाहती हूँ और मैं बिना किसी भय, लालच, दबाव में नहीं अपने स्थिर मन से मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता/लेती हूँ।	
03.	यह तुरंत प्रवृत्त होगा।	

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

इस वापसी की सूचना मुझे मेरे कार्यालय में दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न से अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त की गयी है।

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

वापसी की सूचना के लिए रसीद

(सूचना देने वाले अभ्यर्थी को दिये जाने के लिए)

मैंने श्री/श्रीमती/सुश्री... जो बिस्कोमान (बिहार–झारखण्ड) के .... पद के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है, द्वारा अभ्यर्थीता वापसी की सूचना मुझे अभ्यर्थी द्वारा मेरे कार्यालय में दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में दी गयी, जिसकी प्राप्ति स्वीकार की जाती है एवं नामांकन पत्र वापस लेने/करने की अनुमति दी जाती है।

स्थान :–

तिथि :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर